

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

क्रमांक : संस्था/अराज/2021/584

विज्ञप्ति

दिनांक 21.5.2021

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक प. 1(1) चिस्वा/गुप-2/2020 जयपुर दिनांक 18.05.2021 के द्वारा प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु कोविड हैल्थ कन्सल्टेन्ट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक की 31 जुलाई 2021 तक लिए नियोजन हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से अपना आवेदन पत्र, निर्धारित योग्यता तथा अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ दिनांक 26.05.2021 को सायं 5.00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं।

S.N.	Name of Contractual Post	No. of Post	Essential Qualification	फिक्स मानदेय प्रतिमाह
1.	कोविड हैल्थ कन्सल्टेन्ट	20	MBBS With RMC Registered	39300/-
2.	कोविड स्वास्थ्य सहायक	प्रति ग्राम पंचायत स्तर 01 पद. प्रा.स्वा.के. पर 02 पद, सा.स्वा.के. पर 03 पद, शहरी क्षेत्र हेतु प्रति वार्ड 02 पद	GNM / BSc Nursing With RNC Registered	7900/-

- नोट : 1. उक्त मानदेय के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।
2. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सुभाष बाजार, टोंक में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप www.tonk.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. कोविड हैल्थ कन्सल्टेन्ट हेतु पीजी/एमडी-मेडीसन एवं एमडी-एनेस्थिसिया वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी शेष हेतु एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट अनुसार तथा कोविड स्वास्थ्य सहायकों के नियोजन में शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। स्थानीय अभ्यर्थियों को चयन में वरियता प्रदान की जावेगी।
4. निर्धारित तिथि पश्चात तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. चयन प्रक्रिया नियमानुसार योग्यता की जांच एवं मेरिट के आधार पर जिला कलेक्टर महोदया की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अभिशंषा उपरान्त राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार सम्पादित की जावेगी। यह नियुक्ति पूर्णतया: अस्थायी होगी तथा विज्ञप्ति को बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक